

12/8
25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी द्वारा
 डा. पत्र संख्या ॥ ८८८ का पेश किया
 गया कि प्रकरण के संबंधित इत
 बाद जब पूर्व में प्रतिवादी के द्वारा
 वादीगण करतुरी बारी व अन्य के
 विरुद्ध न्यायालय मार्ग में प्रस्तुत किया
 गया था जो प्रकरण सं. ३१/१९९७ पर
 यज्ञ क्षेत्र सिंगल ७-५-२००५ का
 प्रतिवादी अंतराज के पत्र में विहित
 हुआ। करतुरी बारी वीरद द्वारा
 विहित के विरुद्ध न्यायालय राजस्व
 कमील कमिश्नरी सिटी ३०७ के कमील
 प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय के
 द्वारा करतुरी बारी वीरद की कमील
 की विरुद्ध पत्र की गई। जिसके
 विरुद्ध कोई कमील किसी भी न्यायालय
 में प्रस्तुत नहीं हुई। पूर्व प्रकरण में
 विहित आराजिनात तथा प्रकरण प्रकरण
 में विहित आराजिनात शकनी है।
 पूर्व प्रकरण तथा प्रस्तुत प्रकरण
 के पत्र का भी शकनी है। इसी
 विधि में वादीगण की ओर से प्रस्तुत
 बाद जब द्वारा - ॥ ८८८ के प्रस्ताव
 से प्रतिबन्धित क्षेत्र के प्रस्ताव
 प्रमाण नहीं हो सकीं। कारण यह
 कि जब तक पेश नहीं किया गया
 शकनिए जन्म पर वकील
 प्रतिवादी की शकनी हुई।



तारीख
हुकम
प्रति

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जा. पत्र खंड 2011 पूर्व 5 नवंबर संख्या
21/97 के.ए. सिंगल ज. 5. 2005
के प्रतिवादी अनुराज के पत्र के
जिम्मेदार क्षेत्र जा. पत्र के खर्च के
बिना जमान है वही त वादी द्वारा
जा. पत्र का कोई जमान पेश
नहीं किया जाने से बाद पत्र खर्च
द्वारा वादीजान की मोर से 9500
बाद 11 00 के जमान के तहत
खर्च करने से बाद पत्र खर्च
मोटा नहीं करने से खर्च के बिना
जमान है इसी कारण का पत्र
डिली करता जाये। पत्र न भी खर्च
शुभ (के.ए. नारायण) के पत्र है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादरी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बडीसादडी
प्रकरण सं. 312/2013 वादपत्र धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

- 1- राजेन्द्र कुमार पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी ।
- 2- रामनारायण पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी ।
- 3- लक्ष्मीलाल पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी
- 4- हीरालाल पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी
- 5- नानालाल पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी
- 6- कस्तुरीबाई पत्नी रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी

—वादीगण

बनाम

- 1- धनराज मु. प्रताप यादव(चमारिया) नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी
- 2- राधेश्याम पिता रतनलाल यादव नि. एकलिंगपुरा तह. बडीसादडी
- 3- तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री आर.एस. पुजारी तथा प्रतिवादी की ओर से श्री वी.एस. राठौड़ उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद 11 सीपीसी के प्रावधानों के तहत बाधित होने से वाद पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.....X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...X... को दी जावे।
यह आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



(कल्पित शिवरान)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी